पत्रांक सं0–14 / डी0एल0ए0 नीति–02 / 2022–719 / रा0,

**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
(भू–अर्जन निदेशालय)

**Fax/E-Mail**

प्रेषक,

**राकेश कुमार,**
**सहायक निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार।**

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः– 01-06-2022

**विषयः–** **मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु मार्गदर्शन देने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभिन्न जिलों द्वारा विभाग स्तर से मार्गदर्शन की मांग लगातार की जा रही है, जिसके क्रम में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्याधीन संचालित भू–अर्जन की परियोजनाओं से संबंधित मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारियों को भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत देय मुआवजा की राशि की सीमा के निर्धारण एवं अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में निर्गत राजस्व विभागीय पत्रांक–110, दिनांक–02.02.2018 से विस्तृत दिशा–निदेश दिये गये हैं, जिसमें वर्तमान में किसी प्रकार का फेरबदल किया जाना अपेक्षित नही है।

अतएव अनुरोध है कि राजस्व विभागीय पत्रांक–110, दिनांक–02.02.2018 से निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारियों को मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

**विश्वासभाजन**
1/6/22
**(राकेश कुमार)**
**सहायक निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार।**

ज्ञापांक– 719 / रा0, पटना, दिनांक– 01-06-2022

**प्रतिलिपिः**–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/22
**सहायक निदेशक,**
**भू–अर्जन, बिहार।**

पत्रांक सं0–14 / डी0एल0ए0 / पी0एम0जी0 बैठक (प्रतिवेदन)–01 / 2022–............ / रा0,